

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 52
गृह मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व		17.93	679.43	697.36	17.60	712.40	730.00	17.80	689.46	707.26	
पूंजी		0.50	20.00	20.50	1.00	22.55	23.55	4.00	24.05	28.05	
जोड़		18.43	699.43	717.86	18.60	734.95	753.55	21.80	713.51	735.31	
1.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	0.30	61.33	61.63	0.30	62.50	62.80	0.30	66.96	67.26
	4059	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00	
	जोड़	0.80	61.33	62.13	1.30	62.50	63.80	4.30	66.96	71.26	
2.	नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो	2052	...	11.40	11.40	...	12.10	12.10	...	13.05	13.05
	4059	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	
	जोड़	...	13.90	13.90	...	14.60	14.60	...	15.55	15.55	
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी											
3.	जनगणना	3454	13.17	104.97	118.14	13.17	114.70	127.87	14.00	112.35	126.35
अन्य प्रशासनिक सेवाएं											
4.	राजभाषा	2070	4.46	15.19	19.65	4.13	13.95	18.08	3.50	16.10	19.60
5.	आसूचना ब्यूरो	2070	...	364.38	364.38	...	370.80	370.80	...	392.84	392.84
	4216	...	0.50	0.50	...	0.15	0.15	...	1.50	1.50	
	4059	...	15.00	15.00	...	16.90	16.90	...	16.75	16.75	
	जोड़	...	379.88	379.88	...	387.85	387.85	...	411.09	411.09	
6.	केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को अदायगी	3601	...	53.82	53.82	...	23.40	23.40	...	2.01	2.01
7.	नागरिक सुरक्षा	2070	...	3.94	3.94	...	6.25	6.25	...	7.65	7.65
	3601	...	6.00	6.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	
	जोड़	...	9.94	9.94	...	16.25	16.25	...	17.65	17.65	
8.	होम गार्ड	3601	...	36.00	36.00	...	74.00	74.00	...	44.00	44.00
9.	अन्य मदें	2013	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.06	0.06
	2070	...	20.35	20.35	...	21.75	21.75	...	22.29	22.29	
	2250	...	0.40	0.40	...	1.30	1.30	...	0.40	0.40	
	3601	...	1.60	1.60	...	1.60	1.60	...	1.75	1.75	
	4216	...	2.00	2.00	...	3.00	3.00	...	3.30	3.30	
	जोड़	...	24.40	24.40	...	27.70	27.70	...	27.80	27.80	
कुल जोड़		18.43	699.43	717.86	18.60	734.95	753.55	21.80	713.51	735.31	
ग. आयोजना परिव्यय		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	32052	0.80	...	0.80	1.30	...	1.30	4.30	...	4.30
2.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	13.17	...	13.17	13.17	...	13.17	14.00	...	14.00
3.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	4.46	...	4.46	4.13	...	4.13	3.50	...	3.50
जोड़		18.43	...	18.43	18.60	...	18.60	21.80	...	21.80	

1. **सचिवालय** : इसमें गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गयी है। इसमें राजभाषा समिति तथा पुनर्वास प्रभाग के व्यवस्थापन विंग तथा जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग के लिए की जाने वाली व्यवस्था भी शामिल है।

2. **नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो**: यह प्रावधान नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. **जनगणना** : इसके अन्तर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के लिए व्यवस्था की गई है जो जन्म-मरण के आंकड़े इकट्ठे करने तथा दशवार्षिक जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार है। इस संगठन के अन्य कार्यकलाप इनसे संबंधित हैं, सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकी, जातीय और भाषा संबंधी सर्वेक्षण और उनका अध्ययन तथा जनगणना संबंधी आंकड़ों का मानचित्रिक चित्रण। आयोजना प्रावधान चल रही स्कीमों के लिए है।

4. **राजभाषा** : इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि के लिए व्यय की व्यवस्था शामिल है।

5. **आसूचना ब्यूरो** : इसके अन्तर्गत स्थापना, यात्रा व्यय, मशीनरी एवं उपकरण आदि की पूर्ति के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें आसूचना ब्यूरो द्वारा संचालित आप्रवास ब्यूरो और सीमा चेक पोस्टों के लिए भी प्रावधान शामिल है।

6. **राज्य सरकारों को केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिए अदायगियां** : इसमें नागरिकता अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण और उन

पर निगरानी तथा अन्य अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए व्यवस्था शामिल है।

7. **नागरिक सुरक्षा** : भारत सरकार की नीति के अनुसार, नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता चुने हुए स्थानों और आवश्यक संयंत्रों/प्रतिष्ठानों को उनके सामरिक तथा नीतिगत महत्व को देखते हुए दी जाती है। नागरिक सुरक्षा का गठन, थोड़े से स्थायी न्यूक्लियस स्टाफ को छोड़कर, मुख्यतः स्वैच्छिक आधार पर किया गया है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज और आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रमों के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

8. **होम गार्ड** : यह एक स्वैच्छिक बल है जिसका गठन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक विस्तृत ढांचे और नीति के अन्तर्गत किया गया है। होमगार्डों का उपयोग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए अपने-अपने पुलिस बलों के पूरक के रूप में किया जाता है। सीमा विंग होम गार्डों को सीमा सुरक्षा बलों के साथ पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी करने के लिए नियोजित किया जाता है। इसके अन्तर्गत चुनाव कार्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए होम गार्ड्स पर व्यय के लिए भी व्यवस्था की गई है।

9. **अन्य मदें** : इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषदों, अंतर्राज्यीय परिषदों, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, विशेष जांच आयोग, मानव अधिकार आयोग, आई.सी.पी.ओ. - इंटरपोल के लिए अंशदान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।